प्रतिलिपि पत्र संख्या-790/सत्तर-6-2008-2(207)/2006 दिनांक 03 अप्रैल, 2008 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./आर0 कैम्प0/5362/2008, दिनांक 30.01.2008 तथा पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./703/2008, दिनांक 05.03.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल आक्सफोर्ड माडल इस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, श्यामनगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से अगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत है तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नही है ।
3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002टीसी, दिनांक 16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166)/2005, दिनांक 21.10.2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
5. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।
7. विश्वविद्यालय प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित करेगा कि सन्दर्भगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्षों का वेतन बैंक के माध्यम से हो रहा है । इस सम्बन्ध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रमाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. विश्वविद्यालय यह भी अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा कि संदर्भगत आक्सफोर्ड माडल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, श्यामनगर, कानपुर के नाम सुसंगत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अंतर्गत मानकानुसार भूमि विधितः अनतरित है एवं एक ही स्थान पर अर्थात समस्त गाटे संयुक्त है ।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1191 /2008 दिनांक 29/04/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, आक्सफोर्ड माडल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, श्यामनगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । **माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित शर्तों की पूर्ति/निरन्तरता बनाये रखना सुनिश्चित कराया जाए ।**
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सहायक कुलसचिव(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
6. अतिगोपनीय विभाग ।

(अखिलेश कुमार पाल)
उप कुलसचिव (सम्ब0)
कृते कुलसचिव